

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 07/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्घे प्रवर्तन निरीक्षक, बारां(राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

श्री रामनारायण शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा, शर्मा दाल बाटी सेन्टर,
चारमूर्ति चौराहा, बारां

(अप्रार्थी)



प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :-1. पेटोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली, अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक— 27.03.2019

1— प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 09.04.2018 को शहर में घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर शर्मा दाल बाटी सेन्टर, चारमूर्ति चौराहा बारां पर दल सहित पहुँचे। मौके पर मालिक रामनारायण शर्मा उपस्थित मिले जिनके सामने भोजनालय की जाँच की गई। जाँच के दौरान मौके पर 2 घरेलू सिलेण्डर (14.2 के.जी.) एक गैस भट्टी चूल्हा पाया गया। इनमें एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़ा हुआ था जिनपर खाना बनाया जा रहा था तथा अन्य सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ भोजनालय परिसर में रखे हुये थे। इसपर उपस्थित संजय गर्ग से पूछताछ की गई। अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है—

क्रमांक	सिलेण्डर का एस.आ.नं०	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित का मानक भार	खाली सिलेण्डरों का टैयरवेट	भौति सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	210285 S	HPCL	14.2	15.7	25.9	10.2
2	244930 S	HPCL	14.2	15.6	18.2	2.6
Total						12.8



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2- प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ज नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित आने पर अप्रार्थी ने अपने समर्थन में दिनांक 11.06.2018 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3- अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा इस्तगासे में वर्णित कथन मनगढ़न्त कहानी है। प्रार्थी का यह कथन कि उनने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, उचित नहीं है। जप्तशुदा गैस सिलेण्डरो एवं चूल्का भट्टी को अप्रार्थी को लोटाया जाना विधि संगत है क्योंकि कूकिंग गैस कम्प्रेस्ट एवं स्टोर्ड गैस सिलेण्डरो में होती है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं है। इसलिये उनकर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे की कार्यवाही निरस्त फरमायी जाकर, जप्तशुदा दो गैस सिलेण्डरो एवं एक चूल्हा भट्टी को अप्रार्थी को लौटायी जावे।

4- प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान परोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5- बहस के दौरान विद्वान परोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि बारां शहर में घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 09.04.2018 को अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर पहुँचकर जाँच की गयी। जाँच के दौरान दुकान में मौके पर 2 घरेलू सिलेण्डर, एक गैस भट्टी चूल्हा पाया गया। जिनमें से एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़ा हुआ था। जिनपर खाना बनाया जा रहा था। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरुद्ध एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा दो घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक चूल्हे का राजसात किया जावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

कथन किया कि विभाग द्वारा उसके विरुद्ध राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन मानते हुये कार्यवाही की गयी है। जबकि कूकिंग गैस कम्प्रेस्ट एवं स्टोर्ड गैस होती है। द्रवित गैस नहीं होती है। इस प्रकार इस्तगासे में जिन नियमों को उल्लंघन बताया गया है। यह नियम अप्रार्थी पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार रसद विभाग द्वारा नियमों एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर, गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा जप्त किया गया है जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर दो मय गैस एवं एक भट्टी चूल्हा अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7- हमने विद्वान परोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर शर्मा दाल बाटी सेन्टर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग खाना बनाने के काम में लिये जाने पर, मौके पर 2 गैस सिलेण्डरों एवं एक भट्टी चूल्हा जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया है ना ही कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया है। कूकिंग गैस कम्प्रेस्ट एवं स्टोर्ड गैस होती है, जिसपर द्रवित गैस नियम के कानूनी लागू नहीं होते हैं। इस्तगासा कानून विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा गैस सिलेण्डर व भट्टी से खाना बनाते पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरों एवं भट्टी चूल्हा जप्त किया गया है। जिसे किसी भी स्थिति में नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8- परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा दो गैस सिलेण्डर मय 12.08 किग्रा. गैस एवं एक भट्टी चूल्हे को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा भट्टी चूल्हे का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजाजत से सुनाया जाकर सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official